तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	ओम् बनाम रघुनाथ वगै. दावा कुल-164/22	
	फर्द दस्तावेजात किता-7 पेश किये जो शामिल मिशल किये गये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक-10-7-23 को पेश हों। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
10.07.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षयीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.08.02 15:46:02 IST Reason: SelfAttested 10/07/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
164 / 2022	2022 / 281	08.12.2022	10.07.2023

उनवान

1. चौथू पुत्र गोदा जाति जाट उम्र 76 साल निवासी ग्राम सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— वादी——

बनाम

1. रघुनाथ उम्र 65 साल
2. सागरमल उम्र 63 साल
3. भागीरथ उम्र 60 साल

   पुत्रगण मोठू

4. अंजू पुत्री रामेश्वर पौत्री मोठू उम्र 30 साल
5. अनिता पुत्री रामेश्वर पौत्री मोठू उम्र 28 साल
6. ममता पुत्री रामेश्वर पौत्री मोठू उम्र 25 साल
7. मेवा पत्नी रामेश्वर पुत्रवधु मोठू उम्र 60 साल
8. तेजाराम पुत्र गोदा उम्र 80 साल
9. नाथूराम पुत्र नानू उर्फ नारायण उम्र [illegible] साल

10 भींवा पुत्र नानू उर्फ नारायण 56 साल

11 बनवारी पुत्र नानू उर्फ नारायण उम्र 53 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 15:46:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

10/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

12 रोशन पुत्र मुरली पौत्र गोदा उम्र 50 साल

13 संज्या बैवा रामनाथ पुत्रवधु मुरली उम्र 60 साल

14 नेकीराम उम्र 25 साल

15 दिलीप उम्र 23 साल

पुत्रगण रामनाथ पौत्रगण मुरली

16 उर्मिला उम्र 30 साल

17 सुमन उम्र 28 साल

18 सुमित्रा उम्र 26 साल

19 बिमला उम्र 24 साल

20 शांति उम्र 22 साल

21 शारदा उम्र 21 साल

पुत्रियां रामनाथ पौत्रियां मुरली समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

22 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

23 मैनेजर दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 शाखा श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण —

उपस्थित : — श्री झाबर सिंह मारणी एड0 वादी अभिभाषक।

श्री फूलचन्द सामौता एड0 प्रतिवादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या—23

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 15:46:02 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 584, 592 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7800 है0 तन् ग्राम सिहोड़ी पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान अवस्थित है। पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार खानदान से है एवं उक्त वर्णित कृषि भूमि पक्षकारान की मौरूसी पैत्रिक कृषि भूमि है एवं इसक अलावा अन्य पैत्रिक पारिवारिक भूमियां है जिनका पारिवारिक सैटिलमेन्ट काश्त की सुविधा के अनुसार कर रखा है जिसके अनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमि पारिवारिक सैटिलमेन्ट के अनुसार अकेले वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त चल आयी हुयी है एवं उक्त भूमि पर वादी अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 20.09.2022 को इन्कार हो गया एवं वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय अदालत में बिना ... दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर नम्बर 584, 592 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7800 है0 अवस्थित तन ग्राम सिहोड़ी पटवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 15:46:02 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हल्का सिहोडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 21 के पति–पिता मृत्तक रामनाथ पुत्र मुरली का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त की जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 22 व 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 की ओर से वकील श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादीगण वकील श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 की पहचान श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादी ने साक्ष्य वादी के समर्थन में चौथू पुत्र गोदा जाति जाट उम्र 76 साल निवासी सिहोडी तथा ताराचन्द पुत्र भग्गूराम आयु 35 साल जाति जाट के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये तथा फर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 15:46:02 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजात पेश किये जो शामिल शामिल पत्रावली किये गये। जिस पर वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी समझौता/राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, राजीनामा, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी पक्षकार वादी को छोड़कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वयं के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 21 के पति–पिता के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी साक्ष्य में गवाहान् द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के मध्य हुये आपसी समझौते/राजीनामा अनुसार 584, 592 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7800 है0 अवस्थित तन ग्राम सिहोड़ी पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी को खातेदार [illegible] घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्र[illegible] ता 12 एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 21 के पति/पिता मृतक रामनाथ [illegible]त्र मुरली के नाम हजफ किया जाकर खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 15:46:02 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर कृषि भूमि खसरा नम्बर 584, 592 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7800 है0 अवस्थित तन ग्राम सिहोड़ी पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 21 के पति/पिता मृत्तक रामनाथ पुत्र मुरली का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

10/07/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 15:46:02 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)